IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मखाना उद्योग में श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ एवं अवसर : कटिहार जिला का एक अध्ययन

डॉ० प्रियंका चौधरी

आई०आर०पी०एम०, विभाग

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय, भागलपुर

निबंध सारः

किसी भी उद्योग या संगठन को संचालित करने हेतु भूमि अपरिहार्य है, परन्तु अर्थविज्ञान में यह एक निष्क्रिय उत्पादन हैं। वहीं श्रम के उपयोग बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। किसी भी औद्योगिक इकाई या संगठन में उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत श्रमिकों के मानसिक तथा शारीरिक सामर्थ्य का ह्रास होता है। कार्यसामर्थ्य की कमी चाहे शारीरिक हो या मानसिक वह उत्पादन को अवश्य ही प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव न केवल उनके आर्थिक जीवन पर बल्कि पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। वही मखाना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिकांश कार्य शारीरिक होते हैं, जो की काफी जोखिम वाले होते हैं। इस दौरान श्रमिकों को कई तरह की शारीरिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा भी उन्हें जैसे – पलायन की स्थिति, अर्द्ध–बेरोजगारी की समस्या, महिलाओं के रहने की दशाएँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कार्य की दशाएँ, बाल मजदूरी एवं कार्य के घंटे इत्यादि कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन तमाम कठिनाइयों एवं चुनौतियों के बावजूद भी वे अपनी आर्थिक व सामाजिक दशाओं में सुधार के लिए दिन–रात इस कार्य में संलग्न रहते हैं। प्रस्तुत शोध–प्रपत्र के माध्यम से न केवल उनके कार्य संबंधित समस्याओं को दर्शाया गया है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए कटिहार जिला के एक मखाना उद्योग की एक इकाई में कार्यरत 250 श्रमिकों का चयन कर उनके कार्य की दशाओं के साथ –साथ उनके आर्थिक तथा सामाजिक मंतव्य को जानने का प्रयास किया गया हैं। वहीं शोधकर्ता ने उनके मंतव्य को आंकड़ों के माध्यम से इस शोध पत्र में प्रस्तुत कर उसका विश्लेषण किया हैं।

कुंजीभूत शब्द– औद्योगिक इकाई, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, अर्द्ध–बेरोजगारी, कार्यसामर्थ्य।

परिचयः

मखाना की खेती भारत के कई राज्यों जैसे– बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मणिपुर, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में होती है। यह खेती न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों जैसे– रूस, जापान, चीन तथा कोरिया सहित कई अन्य देशों में भी की जाती है। विश्व के कुल व्यय का 90% मखाना उत्पादन भारत में ही होता है। यदि भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ मखाना उत्पादन में बिहार अव्वल है। भारत में मखाना के कुल उत्पादन का 88% उत्पादन केवल बिहार में स्थित विभिन्न औधोगिक इकाइयों में होता है। वही बिहार में भी सर्वाधिक मात्रा में मधुबनी तथा दरभंगा इन दो जिलों में मखाना उत्पादन किया जाता है। दरभंगा जिले में ही मखाना अनुसंधान संगठन का निर्माण किया गया है। यह शोध केंद्र 28 फरवरी 2002 को बनाया गया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत कार्यरत हैं। वहीं इन दो जिलों के अलावा कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर इत्यादि जिलों में भी इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती हैं।

यह श्रमिक पलायन होकर एक जगह से दूसरे जगह जाकर मखाना तैयार करने के लिए आते हैं। मखाना उथले पानी जलाशयों या तालाबों में बढ़ने वाली घास है। यह शांत पानी में उत्पन्न होने वाला मखाना कई प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण एक जलीय उत्पाद है।

तालिका संख्या– 01

मखाना से प्राप्त पोषक तत्व

पोषक तत्व	मखाना में मात्रा
प्रोटीन	9.7%
कार्बोहाइड्रेट	76%
नमी	12.8%
वसा	0.1%
लौह पदार्थ	1.4 मिलीग्राम /100 ग्राम
खनिज लवण	0.5 %
फॉस्फोरस	0.9%

मखाना उत्पादन की विधियाँः

मखाना की खेती शिथिल पानी जैसे– जलाशय या तालाबों में की जाती हैं। एक हेक्टेयर तालाब में लगभग 80 किलो बीज बोए जाते हैं। इसके बीच सफेद तथा आकार में छोटे–छोटे होते हैं। इनकी बुआई दिसंबर से जनवरी में होती हैं। बुआई से पूर्व तालाब को साफ कर इसके बीजों को पानी की निचली सतह पर एक से डेढ़ मीटर की दूरी में गिराया जाता हैं। अप्रैल माह के अंत तक तालाब कटीले पत्तों से पूरी तरह से भर जाता हैं। मई माह के शुरुआत में ही उसमें, रंग – बिरंगे फूल खिलते हुए दिखाई देने लगते हैं। यह फूल पानी में दो से चार दिनों में चले जाते हैं। इसके पश्चात् ही पौधों में बीज आने लगते हैं। 1 से 2 माह में बीच कांटेदार फलों में बदलने लगता है। इसके कांटे को गलने में लगभग 2 महीने का वक्त

लग जाता है। सितंबर से अक्टूबर माह तक इसके फलों को एकत्रित कर बांस की बनी गांज की सहायता से बाहर निकाला जाता है, फिर इसे धूप में सुखाकर बीजों के आकार के आधार पर इसकी ग्रेडिंग की जाती है। तत्पश्चात् उसे भूनकर लोहे की बनी थापी से फोड़कर मखाना तैयार किया जाता हैं।

अध्ययन का उद्देश्यः

1. मखाना उद्योग में संलग्न श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को जानना ।
2. मखाना उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कार्य की दशाओं एवं चुनौतियों से अवगत होना ।
3. कार्य के दौरान महिला श्रमिकों के समक्ष पेश आ रहीं समस्याओं को जानने का प्रयास करना।
4. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना।

अध्ययन पद्धति

कटिहार जिला में मखाना उद्योग काफी तेजी से विकसित हो रहा हैं। इस उद्योग को सफल बनाने में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं। जिस तरह मखाना उद्योग में संलग्न उद्योगपतियों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो रहा हैं क्या ठीक उसी प्रकार का लाभ इसमें संलग्न श्रमिकों को मिल पा रहा है या नहीं। उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ है या नहीं। इन तथ्यों की जानकारी के लिए अनुसूची सह–साक्षात्कार विधि द्वारा क्षेत्र में स्थापित उद्योग केंद्र पर जाकर 250 श्रमिकों से सूचना एकत्रित की गई हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक आँकड़े विभिन्न सरकारी दस्तावेज, पत्र–पत्रिकाएँ, इंटरनेट तथा कृषि विभाग कटिहार से एकत्रित किया गया हैं।

अध्ययन क्षेत्र

कटिहार जिला बिहार राज्य के उत्तर पूर्व हिस्से के मैदानी भाग में स्थित हैं। जिले की भौगोलिक स्थिति गंगा, महानंदा और कोसी नदियों के बाढ़ से बहुत प्रभावित होती है। यह जिला नदी, तालाब, नाला, नलकूप, भूगर्भिक जल तथा निजी नलकूपों से भी संपन्न है। इस जिले के लोगों की मुख्य जीविका कृषि है। इसमें 16.35 प्रतिशत यानी 2300203 खेतिहर मजदूर संलग्न है। जिले में कुल 304091.46 हेक्टेयर भूमि है। वहीं कृषि योग्य भूमि 215021.37 हेक्टेयर है। कटिहार जिले में अधिकांश दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहां का सामान्य वर्षा पात 1297.18 मिली मीटर है। इस जिले में खास तौर पर गेहूं, धान, जुट, केला, मक्का, पटसन, मखाना आदि की खेती होती है। कटिहार जिले में तीन अनुमंडल (कटिहार, मनिहारी, बारसोई) तथा 16 प्रखंड (कटिहार, हसनगंज, डंडखोरा, आजमनगर, बलरामपुर, प्राणपुर, मनसाही, बारसोई, कदवा, अमदाबाद, मनिहारी, कोढा, समेली फलका, बरारी तथा कुर्सेला) है। वहीं मखाने का उत्पादन जिले में मुख्य रूप से कोढा, बरारी, मनिहारी, मनसाही, कदवा, डंडखोरा, प्राणपुर इत्यादि प्रखंडों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी जिले से मखाना कई राज्यों में भेजी जाती है। वृहद संख्या में सहरसा, दरभंगा तथा मधुबनी जिले से मजदूर इस जिले में मखाना तैयार करने के लिए आते हैं। कटिहार जिले में 1200 हेक्टेयर भूमि पर मखाना उत्पादन का काम होता है। लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गुर्री का उत्पादन इस जिले के अंतर्गत होता है, जिसमें 60 से 70 स्थानीय श्रमिक प्रति हेक्टेयर गुर्री निकालने का काम करते हैं। वही 60 से 70 प्रवासी मजदूर 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लावा तैयार करने के कार्य में संलग्न रहते हैं। श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन 40 केजी गुर्री का लावा तैयार किया जाता हैं। प्रति एक क्विंटल लावा तैयार करने पर श्रमिकों को 10 केजी लावा मजदूरी के रूप में दी जाती हैं। वर्तमान परिपेक्ष में ₹800 से ₹ 850 प्रति केजी मखाने की कीमत हैं।

मखाना उद्योग में श्रमिकों के लिए चुनौतियाँः

प्रवास या पलायन एक सार्वभौमिक सत्य हैं। संसार में किसी ना किसी वजंह से प्रवास देखा जाता हैं। प्रवास के अनेक कारण होते हैं जिसमें आथिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होता हैं। अपने आर्थिक स्तर में सुधार के उद्देश्य रोजगाार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ खनिज एवं खनिज आधारित उधोगों का सर्वथा अभाव हैं वहाँ मखाना उधोग कृषि आधारित एक ऐसा उधोग हैं, जो बड़ी संख्या में वर्ष के 4–5 माह लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। यदपि इस उधोग में रोजगार तथा आय सृजन की अपार संभावनाएँ हैं तथापि इसमें कार्यरत श्रमिकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार हैं–

स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँः

मखाने की खेती पानी में ही होती है, जिससे मजदूरों को कई तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ज्यादा गहरे तालाबों या जलाशयों में मजदूरों के डूबने का खतरा बना रहता हैं। वहीं फसल को एकत्रित करने के दौरान श्रमिकों को कई बार पानी में गोता लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानियां भी होती है। यहाँ तक कि उन्हें पानी में खतरनाक जीवों से भी जोखिम बना रहता हैं। मखाने के फल में काफी नुकीले कांटे होते हैं, जिससे उनके हथेलियों पर कई बार कांटे चुभ जाते हैं। वहीं मखाना को कई घंटों तक आग पर भूना जाता है। आग की जलन तथा उसका धुआॅ श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते है। भूनने के पश्चात् श्रमिक गर्म मखाने को अपनी हथेली से या फिर लोहे की थापी से पीट कर लावा निकालते हैं और यह प्रक्रिया लगातार कई घंटों तक बिना रुके चलती रहती हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करके श्रमिक मखाना के बीजों से अंतिम उत्पाद को तैयार करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ता है।

चित्र संख्या 1

पलायन की स्थिति में चुनौतियाँः

पलायन की स्थिति में श्रमिक चाहे वह महिला हो या पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि इस कार्य की कोई स्थिरता नहीं होती है। इस स्थिति में उन मजदूरों को झुग्गी बस्तियों में रहना पड़ता है, जहाँ न रहने की अच्छी दशाएं होती हैं और ना ही शौच की उत्तम व्यवस्था होती हैं। इस हालत में महिला श्रमिकों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के क्रम में उनके बच्चों की शिक्षा तो अधूरी रह ही जाती है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पलायन की स्थिति बच्चों पर सकारात्मक के बदले नकारात्मक प्रभाव अधिक ड़ालती हैं। उचित देखभाल नहीं हो पाने के कारण वे कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वे लोग अपने आर्थिक जीवन स्तर सुधारने की चाह में शोषित जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

अर्द्ध–बेरोजगारी की समस्याः

मखाना उद्योग में मजदूरों के लिए पूर्ण रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। साल में केवल चार–पांच महीने ही वे रोजगार में रहते हैं, बाकी के महीने में लोग या तो अन्य जगह जाकर मजदूरी करते हैं या रोजगार की तलाश में इधर–उधर भटकते रहते हैं। वहीं इस उद्योग में श्रमिकों को एक क्विंटल गुर्री तैयार करने पर 10 केजी लावा मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है, इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की धनराशि उद्योगपतियों द्वारा नहीं मिलती है।

असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाः

लगभग सभी असंगठित क्षेत्र में मजदूरों पर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से भी वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई अधिनियम है, जो मखाना श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं, जैसे– कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, औद्योगिक उपदान अधिनियम 1947, प्रसूति अधिनियम 1961, कर्मचारी भविष्य निधि, वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु, विवाह, दुर्घटना आदि।

चित्र संख्या 2

बाल श्रम और शोषणः

मखाना उद्योग में पलायन होकर आने वाले मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ कार्य करने के लिए आते हैं। इन परिवारों में छोटे–छोटे बच्चे भी होते हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे 14 वर्ष से कम आयु वाले होते हैं। ये बच्चे भी अपने माता–पिता के साथ कार्य करने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई बच्चों को मखाना फोड़ी में काम पर लगाया जाता है, जिनके अभिभावक काम पर नहीं जा सकते हैं। इन बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। कार्य नहीं करने पर उन्हें मालिक द्वारा भूखे रखकर मारा – पीटा भी जाता है। इन बच्चों से कई कई घंटो तक लगातार काम करवाया जाता है, जबकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में कहा गया है कि वैसे बच्चे जिसकी आयु 14 या उससे कम है उससे 3 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जा सकता हैं। साथ ही शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक किसी भी बच्चे से किसी भी हालत में कार्य नहीं करवाया जा सकता हैं। इसके बावजूद भी न केवल मखाना बल्कि अन्य उधोगो में भी उधोगपतियों द्वारा बच्चों से बेधडक कार्य करवाया जाता हैं। पिछले वर्ष पूर्णियाँ जिले में एक मखाना उद्योग में बाल मजदूरी का मामला तब सामने आया जब वहां के मालिक द्वारा हो रहे अत्याचार से बचने के लिए एक बच्चा भाग खड़ा हुआ। जहां गस्ती के दौरान फलका पुलिस को यह बच्चा रोता बिलखता हुआ सड़क पर मिला। वहीं हाल ही महिषी थाना क्षेत्र में भी यह मामला सामने आया जब दो बच्चे (जिनकी उम्र 12 तथा 13 वर्ष थी) को गाँव वाले ने जख्मी हालत में पाया। ऐसे ना जाने कितने बाल मजदूर हैं, जो न सिर्फ मखाना उद्योग बल्कि हर क्षेत्र में शोषण भरी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं।

चित्र संख्या –3

श्रम कल्याण का अभावः

मखाना फोड़ी उद्योग में श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार के श्रम कल्याण से संबंधित योजनाएँ प्रभावित नहीं होती हैं। प्रोविडेंट फंड, बोनस, यात्रा भत्ता, बीमा, स्वास्थ्य भत्ता इत्यादि इस तरह की न जाने कितने योजनाएं संचालित हैं, जिससे वे वंचित रह जाते हैं।

महिला श्रमिकों की समस्याएँः

यूं तो महिला एवं पुरुष आदिकाल से ही एक दूसरे के पूरक रहें हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तिव अपूर्ण है। पुरुष शरीर तथा व्यवहार से कठोर कार्य करने में अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, जबकि महिलाएं कोमल तथा सरल कार्यों में सक्षम होती हैं, लेकिन इस उद्योग में महिलाएँ भी अत्यधिक कठोर कार्य करती हैं। गर्भावस्था के दौरान भी उन्हें लगातार कई घंटे तक मखाना फोड़ी का काम करना पड़ता है, जिसके कारण वे उस अवस्था में अपने खान–पान का ध्यान नहीं रख पाती है। फलतः उनके तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हैं और उनके बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 में इन महिलाओं के लिए प्रसवावस्था दौरान विशेष संरक्षा जैसे– विशेष छुट्टी, आर्थिक सहायता, नौकरी की सुरक्षा तथा चिकित्सकीय सुविधाएँ सम्मिलित हैं साथ ही संध्या 7 बजे से सुबह 7 तक तथा किसी भी परिस्थिति में संध्या 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक महिला श्रमिकों से कार्य नहीं लेने का प्रावधान हैं।

अनियमित कार्य के घंटेः

मखाना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कार्य के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, क्योंकि इस उद्योग में उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों को वेतन ही इस आधार पर दिया जाता है कि उन्होंने एक दिन में कितना लावा तैयार किया। इस लालच में श्रमिक अनवरत कार्य करते हैं। इस क्रम में लोग घंटों – घंटों आग के पास बैठे रहते हैं, जिससे न केवल उनको शारीरिक कष्टों से बल्कि मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है, जबकि कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् किसी भी उधोग में कार्यरत वयस्क श्रमिकों से एक दिन में 9 घंटे से अधिक समय तक कार्य लेने की अनुमति नहीं हैं। परंतु मखाना उधोग के असंगठित होने की वजह से यह कानून इन श्रमिकों पर लागू नही होता हैं। यही कारण हैं कि इस उधोग में श्रमिकों को लगातार कार्य करना पडता हैं।

मखाना श्रमिकों की व्यक्तिगत, आर्थिक व सामाजिक संरचनाः

मखाना उधोग मुख्य रूप से मौसमी उधोग हैं। इसमें श्रमिकों को पूरे साल के लिए नहीं बल्कि साल के केवल 4–5 महीने रोजगार प्रदान करता हैं। इसलिए इस अवधि में श्रमिक अपने पूरे परिवार (जिसमें बच्चे एवं बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं) के साथ पलायन करते हैं। कार्य समाप्त होने के पश्चात् वे पुनः वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार इस उधोग में सम्मिलित श्रमिकों के जीवन में आप्रवास एवं उत्प्रवास का क्रम चलता रहता हैं जो उनके व्यक्तिगत सहित आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को गहरे तौर पर प्रभावित करता है। शोध–पत्र में विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से उधोग में संलग्न श्रमिकों के व्यक्तिगत, आर्थिक व सामाजिक संरचना के विश्लेषण का प्रयास किया गया हैं, जो इस प्रकार हैं।

तालिका संख्या– 02

मखाना उधोग में संलग्न श्रमिकों की आयु व लिग संरचना

आयु वर्ग	पुरुष	महिला	संख्या	प्रतिशत
9-14	28	15	43	17.2
15-29	57	25	82	32.8
30-50	40	28	68	27.2
51 से अधिक	39	18	57	22.8
कुल संख्या	164	86	250	100

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2022

तालिका संख्या– 02 में मखाना उद्योग की एक इकाई में कार्यरत श्रमिकों में से सर्वेक्षित 250 श्रमिकों की आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाया गया है। इसके तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल सर्वेक्षित 250 श्रमिकों में से 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बाल श्रमिकों की संख्या 43 (17.02 प्रतिशत) हैं, जिसमें 28 बालक तथा 15 बालिकाएँ हैं। यह आँकड़ा बाल मजदूरी पर नियंत्रण की सच्चाई को उजागर करता हैं। वहीं 15 से 29 वर्ष के श्रमिकों की कुल संख्या 82 है (32.8 प्रतिशत) है जिसमें 57 पुरुष तथा 25 महिला श्रमिक हैं। 30 से 50 आयु वाले श्रमिकों की संख्या 67 (27.2 प्रतिशत) है। इसमें 40 पुरुष तथा 28 महिलाएं श्रमिक सम्मिलित हैं, जबकि 51 या उससे अधिक श्रमिकों की संख्या 57 (28.8 प्रतिशत) जिसमें 39 पुरुष तथा 18 महिलाएँ हैं।

चित्र संख्या–04

इससे स्पष्ट है कि इस उद्योग में संलग्न श्रमिकों में सर्वाधिक 15 से 29 आयु वर्ग वाले सम्मिलित है। तत्पश्चात् 30 से 50 आयु वर्ग वाली आबादी का स्थान है। यदपि 9–14 से वर्ष से कम आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है फिर भी यह स्थिति अत्यंत ही सोचनीय है कि पढ़ने–लिखने की उम्र में इन बच्चों को इतने कठिन और श्रमसाध्य कार्य में संलग्न होना पड़ता है।

तालिका संख्या – 03

लिंगानुसार श्रमिकों का शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	महिला	पुरुष
निरक्षर	19	13
साक्षर	67	151
कुल आबादी	86	164
प्राथमिक	34	77
उच्च प्राथमिक	29	53
माध्यमिक	04	15
उच्च माध्यमिक	0	06

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण 2022

तालिका संख्या–03 के अनुसार 250 श्रमिकों में से 86 महिलाएँ (34.4 प्रतिशत) तथा 164 (65.60 प्रतिशत) पुरुष प्रतिवादी सर्वेक्षण में सम्मिलित हैं। वहीं उनके शैक्षिक स्तर के आँकड़े को देखा जाए तो 86 महिला श्रमिकों में से 19 (22.09 प्रतिशत) अभी भी निरीक्षर है, जबकि 164 पुरुष श्रमिकों में केवल 13 लगभग 8 प्रतिशत पुरूष निरक्षर हैं। इन आँकडों से यह साफ पता चलता हैं कि महिलाएं वर्तमान समय में भी शिक्षा के दौड में काफी पीछे हैं। वहीं कुल महिला श्रमिकों में 67 (77.90 प्रतिशत) महिलाएँ साक्षर हैं जिसमें 34 प्राथमिक, 29 उच्च प्राथमिक, 04 माध्यमिक हैं, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर यह संख्या शून्य हैं। कुल पुरुष आबादी 164 में से 151 (92.7 प्रतिशत) श्रमिक साक्षर है, जिसमें 77 प्राथमिक, 53 उच्च प्राथमिक, 15 माध्यमिक तथा 06 ने उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है और आगे भी वे इसे जारी रखें हुए हैं।

शिक्षा किसी भी मनुष्य के विकास तथा प्रगति हेतु अति आवश्यक है। मखाना उद्योग में कार्यरत श्रमिक हर वर्ष प्रवास के लिए विवश होते है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है तथा धीरे – धीरे उनमें शिक्षा के प्रति रूचि में भी कमी आने लगती हैं। फलस्वरुप वे लोग मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उद्योगपतियों या सरकारों द्वारा एक ऐसा नियम लागू किया जाए जिसमें प्रवासी मजदूर तथा उनके बच्चों की शिक्षा निरंतर चलती रहें।

तालिका संख्या–04

मखाना उद्योग में संलग्न श्रमिकों का कार्य स्थल पर जीवन स्तर

जीवन स्तर	निम्न	संतोषजनक	कुल संख्या
आवास की स्थिति	89	161	250
स्वच्छ पेयजल	63	187	250
शौचालय और स्नानघर	215	35	250
बिजली	00	250	250
मनोरंजन के साधन	15	235	250
स्वास्थ्य सेवाएँ	89	61	250

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2022

तालिका संख्या–04 में चयनित 250 प्रतिवादी मजदूरों के कार्य स्थल पर उनके रहने की दशाओं से संबंधित आँकड़ों को दर्शाया गया है। मजदूरों से पूछे जाने पर कि वे कार्य के दौरान किस स्थिति में रहते हैं, 250 मजदूर में से 89 (35.6 प्रतिशत) मजदूरों ने आवास की स्थिति को निम्न बताया, क्योंकि जिस स्थान पर मखाना फोड़ी का कार्य चलता है, वहीं वे लोग रहने के लिए भी मजबूर होते हैं।

चित्र संख्या–05

झोपड़ी के कमरे में ही कार्य भी करते हैं, और इस कमरे में रहते भी हैं। वहीं 161 (64.4 प्रतिशत) श्रमिकों ने अपने आवास की स्थिति को संतोषजनक बताया। स्वच्छ पेयजल की स्थिति को बताते हुए 63 (25.02 प्रतिशत) श्रमिकों ने निम्न स्थिति बताई जबकि 187 श्रमिकों ने कहा कि चापाकल की व्यवस्था होने से उन्हें पानी की समस्या नहीं है। वही बात शौचालय या स्नानघर की जाएँ तो अधिकांश श्रमिक जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, उन्होंने बताया कि शौचालय और स्नान घर की दशाएँ बहुत खराब है। अतः उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 250 श्रमिकों में से 215 (86 प्रतिशत) श्रमिकों ने कहा कि शौचालय और स्नानघर की उत्तम व्यवस्था नहीं है। वही 35 श्रमिकों ने अपने जीवन से समझौता कर यह बताया कि उन्हें ऐसा ही जीवन जीना पड़ता है। इसलिए वह संतुष्ट हैं, जबकि वहां बिजली की व्यवस्था उत्तम है। इसलिए सभी श्रमिक संतुष्ट हैं। मनोरंजन के साधन के लिए भी प्रायः सभी श्रमिकों ने बताया कि उनके पास

मनोरंजन के लिए टेलीविजन, रेडियो एवं मोबाइल की सुविधा है। वही किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रमिकों का स्वास्थ्य स्तर भी अहम भूमिका निभाता है। प्रायः असंगठित क्षेत्र में यह देखा जाता है कि, वहां श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था नहीं रहती है। उनके बीमार पड़ने पर वे लोग स्वयं ही अपना इलाज करवाते हैं। उद्योगपतियों द्वारा उन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती है। इसलिए 189 (75.6 प्रतिशत) श्रमिकों ने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, जबकि 61 (24.4 प्रतिशत) श्रमिकों ने अपनी स्थिति को संतोषजनक बताया। इन आँकड़ों से यह साफ–साफ देखा जा सकता है कि मखाना श्रमिकों की व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। कार्य स्थल पर अधिकांश श्रमिक बहुत ही निम्न अवस्था में रहने को मजबूर हैं।

तालिका संख्या– 05

मखाना उद्योग में संलग्न श्रमिकों की आर्थिक स्थिति

औसत वार्षिक आय	कुल संख्या	प्रतिशत
50,000से कम आय	89	35.6
51,000–1,00,000	110	44.0
1,00,000 से अधिक	91	20.4
कुल संख्या	250	100

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2022

उपर्युक्त तालिका संख्या– 5 में मजदूरों की आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है, जो उनकी औसत वार्षिक आय से संबधित हैं। चयनित 250 श्रमिकों में से 89 (35.6 प्रतिशत) श्रमिकों ने कहा कि उनकी वार्षिक आय बहुत ही निम्न है। उन्होंने अपनी वार्षिक आय 50,000 से भी कम बताया। इसमें साफ दिखाई देता है कि इस उद्योग में संलग्न होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। वही 110 (44 प्रतिशत) श्रमिकों ने अपनी वार्षिक आय 1,00,000 बताया जबकि केवल 91 (20.4 प्रतिशत) श्रमिकों ने कहा कि मखाना श्रमिक होने के अलावा भी वह अपने बचे हुए महीनों में कुछ कार्य करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक मदद होती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक बताया।

तालिका संख्या–06

प्रवास पूर्व एवं प्रवास पश्चात् मखाना श्रमिकों की स्थिति

स्थिति	लघु किसान	खेतिहर मजदर	दैनिक मजदूर	कुल संख्या
प्रवास पूर्व	37	79	134	250
प्रवास पश्चात्	57	63	130.	250

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2022

तालिका संख्या–06 मखाना उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के प्रवास पूर्व एवं प्रवास पश्चात् की व्यवसायिक स्थिति को दर्शाया गया है। मखाना उधोग में संलग्न होने से पूर्व एवं पश्चात् उनके आथिक जीवन स्तर में होने परिर्वतन को स्पष्ट करता हैं। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 250 श्रमिकों में से 37 14.8 लघु किसान थे, जिनकी संख्या प्रवास के बाद बढकर

57 (22.8 %) हो गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस उद्योग में आने के बाद धीरे–धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया हैं। अब वे प्राप्त आय से बचत कर बडे किसानों से जमीन लीज पर लेकर खेती करने लगे है। वहीं अगर खेतिहर मजदूरों को देखा जाए तो 79 (31.6 प्रतिशत) श्रमिक पहले खेतों में काम करते थे इनके पास अपनी कोई जमीन या कोई अन्य रोजगार का साधन नही था। वहीं इस उद्योग में संलग्न होने के बाद यह संख्या घटकर 63 (25.2 प्रतिशत) हो गई हैं। अब वे कृषि के साथ–साथ अन्य कार्य भी करने लगे हैं। दैनिक मजदूरों की बात करें तो प्रवास पूर्व एवं प्रवास पश्चात् उनकी संख्या में मामूली–सा अंतर आया हैं। श्रमिक ने कहा कि वे ना तो दूसरे के खेतों में कार्य नहीं करते हैं, और ना ही उनका अपना कोई रोजगार है। वे मखाना उद्योग में कार्य करने से पूर्व भी वे दैनिक मजदूर थे और अब भी वही करते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि श्रमिकों की स्थिति प्रवास पूर्व से दयनीय हुआ करती थी जबकि इस उद्योग में कार्य करने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आया है। वे लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होते जा रहे हैं। यह आँकड़ा संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है।

मखाना उद्योग में रोजगार के अवसरः

बिहार के मिथिलांचल इलाके में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। वर्तमान समय में मखाना की खेती कोसी सीमांचल में भी हो रही है, जिससे किसानों तथा मजदूरों के लिए भी रोजगार के अवसरों में दिन – प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ कई किसानों तथा उद्योगपतियों के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं मखाना के गुर्री से लावा बनाने के कार्य में दरभंगा तथा मधुबनी जिले के लगभग 1500 घरों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। मखाना उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने हेतु बिहार के फुलवारीशरीफ में बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत् मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार ने रोजगार के परिपेक्ष में रोस्टेड मखाना प्लांट की भी शुरुआत की है, जिससे बिहार में "हर हाथ को रोजगार" के सपने को पूरा किया जा सकें। इस प्लांट के लगने से बहुत सारे मजदूर को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत में मखाना बाजार का आकार 2023 में लगभग 90.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया था। आईएमसी समूह को यह भी उम्मीदें हैं कि यह बाजार 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2028 तक 178.4 बिलियन रुपए तक पहुँच जाएगा, जिसमें इस उद्योग में लगने वाले श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगा।

निष्कर्षः

मखाना उद्योग में संलग्न श्रमिकों द्वारा मखाने की खेती करने से लेकर गुर्री निकालने एवं लावा तैयार करने तक की प्रक्रिया में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भी शारीरिक तथा मानसिक समस्याएं इतनी जटिल है कि जिस हल किया जाना अभी तक शेष हैं। चाहे वह प्रवास के दौरान की समस्याएं हो या कार्य के दौरान की समस्याएँ उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ना ही वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाते हैं और ना ही सामाजिक स्थिति में सुधार हो पाता हैं। साथ ही साथ हर वर्ष पलायन की वजह से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बच्चों की परवरिश पर भी बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में न सिर्फ उद्योगपतियों द्वारा बल्कि सरकार द्वारा भी मखाना श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु अधिनियम पारित कर उन्हें लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उन श्रमिकों के लिए कार्य की दशाओं से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु कक्ष, प्रसूति एवं वृद्ध महिलाओं के लिए सुविधाएं, वयस्क तथा बालकों के लिए अलग–अलग कार्य के घंटे तथा बाल मजदूरी पर रोक होनी चाहिए इसके साथ–साथ उनके कार्य स्थल की साफ–सफाई,

पीने का पानी, शौचालय, थूकदान तथा सुरक्षा संबंधी नियम बनाने चाहिए, जिससे समाज में मखाना श्रमिकों को एक ऐसा वातावरण मिल सकें कि वे लोग भी समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिता सकें।

संदर्भ सूची

1. श्रम एवं समाज कल्याण, पी॰ आर॰ सिंन्हा एवं इंदुबाला, पृष्ठ संख्या, 203–213.
2. कालीन उधोग में कार्यरत् श्रमिकों की समस्या एवं निदान, दीपिका गुप्ता, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, शा॰– ठाकुर रणमत सिंह महाविधलय, रीवा, मध्यप्रदेश, 2018, आई॰जे॰एस॰आर॰ई॰टी॰ वॉल्यूम–4, ईश्यू–7, आई॰एस॰एस॰एन॰ : 2395–1990, ऑनलाईन आई॰एस॰एस॰एन॰ : 2394–4099. पृष्ठ संख्या, 737–7 40.
3. https://hi.m.wikipedia.org>wiki
4. श्रम एवं समाज कल्याण, पी॰ आर॰ सिंन्हा एवं इंदुबाला, पृष्ठ संख्या, 54, 56 एवं 161.
5. https://www.Bhaskar.com>news
6. https://Katihar.nic.in
7. https://www.imarcgroups.com>India
8. https://www.jagran.com
9. https://www.dspmuranchi.ac.in >Blog
10. श्रम एवं समाज कल्याण, पी॰ आर॰ सिंन्हा एवं इंदुबाला, पृष्ठ संख्या, 42,44 एवं 52.
11. पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (जाँजगीर–चंपा जिले के विशेष संदर्भ में) : देवेन्द्र कुमार, अब्दुल सत्तार, भारती कुलदीप, वॉल्यूम–8, ईश्यू–4, वर्ष 2004
12. https://www.egyankosh.ac.in>uint-8